उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/2/91–टी० सी०–का–1–1991

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1991

दिनांक 20 मार्च, 1991 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7—निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
जय दयाल पुरी,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/2/91–टी० सी०–का–1–1991

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1991

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991

भाग–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

लागू होना

2—यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

अध्यारोही प्रभाव

3—यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

4—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(घ) "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;

(ङ) "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय;

(च) "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;

(छ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

ज्येष्ठता का अवधारण

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं

5—जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है:

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण—जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किए जाएं तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं

6—जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण—पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं

7—जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय

8—जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों को विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी:–

प्रथम	...	पदोन्नत व्यक्ति;
द्वितीय	...	सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी–

प्रथम	...	पदोन्नत व्यक्ति;
द्वितीय से चतुर्थ तक	...	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति;
पांचवां	...	पदोन्नत व्यक्ति;
छठा से आठवां	...	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

भाग–तीन

ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना

9—(1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2/91–T.C.–KA–1–91, dated March 20, 1991 :

No. 13/2/91–T.C.–KA–1–1991

Dated Lucknow, March 20, 1991

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules for determination of seniority of persons appointed to the services under the State Government.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY RULES, 1991

PART—I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the "Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991"

(2) They shall come into force atonce.

Application

2. These rules shall apply to all Government servants in respect of whose recruitment and conditions of service, rules may be or have been made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Over-riding effect

3. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made heretobefore.

Definitions

4. In these rules, unless there is anything repugment in the subject or context, the expression,—

(a) "appointing authority" in relation to any service means the authority empowered to make appointments to such service under the relevant service rules;

(b) "Cadre" means the strength of the service, or part of the service sanctioned as a separate unit;

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission, or the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, as the case may be;

(d) "Committee" means the Committee constituted to make selections for appointments to the service under the relevant service rules;

(e) "feeding cadre" means the cadre of service from amongst the members whereof, promotion is made to a higher service or post under the relevant service rules;

(f) "service" means the service in which the seniority of the member of the service has to be determined;

(g) "service rules" means the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution, and where there are no such rules, the executive instructions issued by the Government, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed, to the relevant service;

(h) "substantive appointment" means an appointment, not being an ad *hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

PART–II

Determination of seniority

Seniority where appointments by direct recruitment only

5. Where according to the service rules appointments are to be made only by the Direct recruitment the seniority *inter se* of the persons appointed on the result of any one selection, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or the Committee, as the case may be :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final :

Provided futher that persons appointed on the result of a Subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

Explanation—Where in the same year separate selections for regular and emergency recruitment, are made, the selection for regular recruitment shall be deemed to be the previous selection.

Seniority where appointments by promotion only from a single feeding cadre.

6. Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion from a single feeding cadre, the seniority *inter se* of persons so appointed shall be the same as it was in the feeding cadre.

Explanation—A person senior in the feeding cadre shall, even though promoted after the promotion of a person junior to him in the feeding cadre shall, in the cadre to which they are promoted, regain the seniority as it was in the feeding cadre.

Seniority where appointments by promotion only from serveral feeding cadres.

7. Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion but from more than one feeding cadres, the seniority *inter se* of persons appointed on the result of any one selection shall be determined according to the date of the order of their substantive appointment in their respective feeding cadres.

Explanation—Where the order of the substantive appointment in the feeding cadre specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases it will meant the date of issuance of the order :

Provided that where the pay scales of the feeding cadres are different, the persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from the feeding cadre having lower pay scale:

Provided further that the persons appointed on the result of a subsequent selection shall be juinor to the persons appointed on the result of a previous selection.

Seniority where appointments by promotion and direct recruitment.

8. (1) Where according to the service rules appointments are made both by promotion and by direct recruitment, the seniority of persons appointed shall, subject to the provisions of the following sub-rules, be determined from the date of the order of their substantive appointments and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date, with effect from which a parson is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issuance of the order:

Provided further that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons, when vacancy is offered to him the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed on the result of any one selection,—

(a) through direct recruitment, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or by the Committee, as the case may be;

(b) by promotion, shall be as determined in accordance with the principles laid down in rule 6 or rule 7, as the case may be, according as the promotion are to be made from a single feeding cadre or several feeding cadres.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment on the result of any one selection the seniority of promotees *vis a vis* direct recruits shall be determined in a cyclic order (the first being a promotee) as for as may be, in accordance with the quota prescribed for the two sources.

Illustrations—(1) Where the quota of promotees and direct recruits is in the proportion of 1 : 1 the seniority shall be in the following order—

First	...	...	...	Promotee
Second	...	...	...	Direct recruits

and so on.

(2) Where the said quota is in the proportion of 1 : 3 the seniority shall be in the following order—

First	...	...	...	Promotee
Second to fourth		...	...	Direct recruits
Fifth	...	...	...	Promotee
Sixth to eight		...	...	Direct recruits

and so on.

Provided that—

(i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota;

(ii) where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appoinment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees;

(iii) where, in accordance with the service rules the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant service rules be filled from the other source and appoinment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

PART—III

Seniority List

Preparation of seniority list.

9. (1) As soon as may be after appointments are made to a service, the appointing authority shall prepare a tentative seniority list of the persons appointed substantively to the service in accordance with the provisions of these rules.

(2) The tentative seniority list shall be circulated amongst the persons concerned inviting objections, by a notice of reasonable period, which shall not be less than seven days from the date of circulation of the tentative seniority list.

(3) No objections against the vires or validity of these rules shall be entertainable.

(4) The appointing authority shall, after disposing off the objection by a reasoned order, issue a final seniority list.

(5) It shall not be necessary to prepare a seniority list of the cadre to which appointments are made only by promotion from a single feeding cadre.

By order,
NEERA YADAV,
Secretary.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 सा० नियुक्ति 15-5-97-(384)-1997-8,000-(कम्प्यूटर/आफसेट) I